न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–टि.ए.08/2018
पंजीयन दिनांक 23.03.2018

(1). घीसालाल पिता भैरा जाति रावत निवासी महुडिया, तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।
(2). शोभालाल पिता भैरा जाति रावत निवासी महुडिया, तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।

–अपीलांट्गण

बनाम

(1). प्रेमचंद पिता वख्ता जाति जणवा, निवासी महुडिया तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।
(2). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी प्रकरण संख्या 77/2017 निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.01.2018

उपस्थित वक्त बहस–(1). सावन श्रीमाली –अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). सोहनलाल जणवा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय **दिनांक 07.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा महुडिया की नवीन आराजी संख्या 170 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी संख्या 171 रकबा 0.57 हैक्टेयर स्थित है। जिसके पडौस पूर्व मे विपक्षी संख्या 1 व 2 अपीलांट्गण की आराजीयात, पश्चिम मे लखमा भील की आराजीयात, उत्तर मे सरकारी रास्ता व दक्षिण मे ज्ञाना जी सुथार की आराजीयात स्थित है। उपरोक्त पडौसान के बीच की आराजीयात को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 1 व 2 अपीलांट्गण से दिनांक 21.04.1969 को बिल एवज

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2500/- रूपये मे जरिये पंजीकृत विकय पत्र कय की थी। तथा कय करने के बाद नामान्तरण संख्या 81 से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम सम्वत 2031 से सम्वत 2034 की जमाबन्दी मे दर्ज हो गया । उपरोक्त नामान्तरण तस्दीक होने के बाद तहसीलदार छोटीसादडी ने उपरोक्त विकय पत्र को धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन मानते हुए एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक जिलाधीश निम्बाहेडा के समक्ष बउनवान सरकार बनाम घीसालाल वगेरह प्रकरण संख्या 342/1976 पेश किया जो दिनांक 25.11.1976 को सहायक जिलाधीश निम्बाहेड़ा ने स्वीकार किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभय पक्षकारान को सुना जाकर पत्रावली प्रतिप्रेषित की जाकर तनकीयात कायम की, कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 घीसालाल, शोभालाल को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना प्रमाणित करावें। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज कर उभय पक्षकारान को सुनकर दिनांक 05.11.1979 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार छोटीसादड़ी का दावा खारिज किया और रावत जाति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना और न ही धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन माना। इस प्रकार दावा खारिज होने के बाद भी सिवायचक जमीन को विपक्षी संख्या 1 व 2 अपीलांट्गण के नाम पुनः राजस्व रेकॉर्ड मे जोड दिया गया। तथा रावत शब्द के आगे मीणा शब्द और जोड दिया गया। इसलिए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपरोक्त आराजी का विकय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार होकर मुकदमे से पूर्व की स्थिति बहाल कराने का अधिकारी है। अन्त मे प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज कराये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण अपीलांट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे विपक्षीगण अपीलांट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी संख्या 1 व 2 अपीलांट्गण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 16.01.2018 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा महुडिया की आराजी संख्या 170 रकबा 0.05 हैक्टेयर व आराजी संख्या 171 रकबा 0.57 हैक्टेयर जो वर्तमान मे विपक्षीगण अपीलांट्गण के नाम दर्ज है, के बजाय प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद कर पुनः पालना रिपोर्ट 10 दिवस के भीतर तहसीलदार छोटीसादडी को पेश करने का आदेश पारित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर मौजा महुडिया की आराजी संख्या 170 रकबा 0.05 हैक्टेयर व आराजी संख्या 171 रकबा 0.57 हैक्टेयर को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज कराये जाने हेतु अनुतोष चाहा जिस पर तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 21.04.1969 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन मानने का निर्णय पारित किया गया, जिसका जवाब विपक्षीगण अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विक्रय नहीं की गई है, कोई विक्रयपत्र पंजीकृत नहीं रहा है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर गलत नामान्तरण कराने से कोई स्वामित्व व अधिकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्राप्त नही होता है। उक्त कृषि आराजीयात पर विपक्षीगण अपीलांटगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलांटगण विपक्षीगण रावत (मीणा) समाज के होकर अनुसूचित जनजाति के गरीब काश्तकार रहे है और प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जणवा समाज का होकर अनूसूचित जनजाति का नहीं है, उक्त विवादित आराजीयात अपीलांटगण विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज रही है जिसे बिना किसी साक्ष्य के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 16.01.2018 पारित किये जाने मे भारी भूल की है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांटगण विपक्षीगण की खातेदारी मे दर्ज रही है एवं अपीलांटगण विपक्षीगण निरन्तर उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी को विक्रय नही की गई और न ही कभी कोई पंजीकृत विक्रय विलेख रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित किया है , जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी को कोई हक अधिकार स्वामित्व विधि विपरीत दस्तावेज दिनांक 21.04.1969 से प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जणवा समाज का होकर अन्य पिछड़ी जाती वर्ग का सदस्य है एवं अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
छितौड़गढ़ (राज.)

विपक्षीगण रावत (मीणा) समाज के होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी को रावत (मीणा) अनुसूचित जनजाति के सदस्य की कृषि भूमि खरीदने का कोई कानूनी अधिकार नही है। उक्त हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के उल्लंघन की श्रेणी मे आता है, उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व आदेश विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 का वादपत्र अपीलांटगण विपक्षीगण व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है जिसमे उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा नहीं होकर कब्जा हटा दिये जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, उक्त तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय व आदेश पारित किया गया है वह न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांटगण विपक्षीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 16.01.2018 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण अपीलांटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 अपीलांटगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 16.01.2018 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल वाद का निस्तारण होकर मूलवाद निरस्त हो जाने से स्वीकार किया जाकर मौजा महुडिया की आराजी संख्या 170 रकबा 0.05 हैक्टेयर व आराजी संख्या 171 रकबा 0.57 हैक्टेयर जो वर्तमान मे विपक्षीगण अपीलांटगण के नाम दर्ज है, के बजाय प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया गया। रावत जाति अनुसूचित जनजाती के अन्तर्गत नहीं आती है। राजस्थान की जातियों की अनुसूचि मे अन्य पिछड़ा वर्ग मे जणवा जाति क्रम संख्या 22 व रावत जाति क्रम संख्या 45 पर स्थित होकर दोनो समान वर्ग मे आते है। अधिवक्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह भी निवेदन किया कि दोनो समान वर्ग मे होने से दोनो के मध्य उक्त आराजीयात का जो हस्तांतरण हुआ है उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन नहीं होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय से मूलवाद धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को निरस्त किया है। उससे पूर्व उक्त कृषि आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जरिये नामान्तरण संख्या 14 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के नाम दर्ज चली आ रही थी जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी उक्त कृषि आराजीयात को पूर्व स्थिति के अनुसार अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 का वादपत्र निरस्त हो जाने से राजस्व रेकॉर्ड मे पूर्व की स्थिति दर्ज किये जाने का जो निर्णय व आदेश पारित किया है, उक्त आदेश विधि सम्मत आदेश है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 19.12.2016 को मोतबीरान की उपस्थिति मे तैयार की गई है जिसमे भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के द्वारा उक्त आराजीयात पर बुआई किया जाना अंकित किया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को मूलवाद जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या 28/1979 दर्ज होकर दिनांक 05.11.1979 को अंतिम निर्णय होकर वादपत्र निरस्त हो चुका है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड की पूर्व स्थिति कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। उक्त आदेश की पालना राजस्व रेकॉर्ड मे भी हो चुकी है। जिससे अपीलांटगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादी की ओर से प्रस्तुत मूलवाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दिनांक 05.11.1979 को निस्तारण होकर निरस्त हो चुका है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1979 की आज दिनांक तक किसी पक्षकार की ओर से अपील सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी पक्ष ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे व न्यायालय हाजा मे यह स्पष्ट किया है कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.1979 के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय मे अपील विचाराधीन हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के नाम दर्ज चली आ रही थी जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.1976 से उक्त आराजीयात विपक्षीगण अपीलांट्गण के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। मूलवाद का निस्तारण होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी ने उक्त कृषि आराजीयात को पुनः अपने नाम पूर्व स्थिति अनुसार दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट्गण विपक्षीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिसमे स्वयं अपीलांट्गण विपक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 वादी की ओर से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ, जो निरस्त हो चुका है। यदि कोई पक्षकार व भूमिधारी तहसीलदार छोटीसादड़ी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित मूलवाद के निर्णय 05.11.1979 से प्रभावित है तो वह सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति मे मूलवाद सक्षम न्यायालय से निरस्त हो जाने के पश्चात राजस्व रेकॉर्ड की पूर्व स्थिति दर्ज किया जाना विधि सम्मत व न्यायोचित है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात की राजस्व रेकॉर्ड मे पूर्व स्थिति दर्ज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण विपक्षीगण संख्या 1 व 2 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी प्रकरण सं. 77/2017 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 16.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्य प्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़